

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम

क्रमांक:-एफएसएसए/18/317

दिनांक:- 03.10.2018


प्रभारी सामान्य शाखा

जिला मुख्यालय जयपुर प्रथम।

विषय:- राजस्थान सीएम हैल्प लाईन पोर्टल पर प्राप्त शिकायत 09180534338041 के निस्तारण के क्रम में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक सामान्य/एफ-124/18/3047 दिनांक 11.09.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित के साथ संलग्न शिकायत संख्या 09180534338041 के क्रम में लेख है कि अन्नपूर्णा रसोई वेन से सम्बन्धित खाद्य अनुज्ञा पत्र इनकी मुख्य कार्य इकाई जीवन सम्बल चेरीट्रेबल ट्रस्ट, सी-124 रोड न0 9(ए) वीकेआई जयपुर को पूर्व में ही क्रमांक 22218026000071 जारी किया हुआ है जो दिनांक 28.01.2019 तक वैध है साथ ही उक्त ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्नपूर्णा रसोई वेन जो चलित ईकाई है एवं संस्था का ही भाग है को अलग से खाद्य अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं है। जिला जयपुर प्रथम क्षेत्र में संचालित अन्नपूर्णा रसोई वेन का पंजीकरण पूर्व में ही किया जा चुका है।



अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जयपुर प्रथम